

(26)

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

// अधिसूचना //


नया रायपुर, दिनांक 15 / 09 / 2016

**क्रमांक एफ 10-13/2013/16 :-** भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2013/16, दिनांक 30.12.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद् द्वारा कॉलम (2) में 58 वें प्रवर्ग के रूप में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

**सारणी**

क्र०	कर्मकारों के प्रवर्ग
58	निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईट, गिट्टी, मुरुम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक

*DLE (M)  
sec (Bocw)*



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

*15/9/16*  
(याकुब खैरुल्लाह)  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 15 / 09 / 2016

**पृष्ठांकन एफ 10-13/2013/16**

**प्रतिलिपि :-**

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर जिला ..... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी ..... (छ0ग0)
7. एनआईसी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को मण्डल के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. गार्ड फाईल।



*15/9/16*  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग